



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112024-258580
CG-DL-E-11112024-258580

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908]
No. 908]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2024/कार्तिक 20, 1946

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2024/KARTIKA 20, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2024

फा. सं. ईको-2/2024—केविविआ.—“वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण करने हेतु मार्गनिर्देश” से संबंधित विद्युत मंत्रालय की समय—समय पर यथासंशोधित दिनांक 19.01.2005 की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में, और दिनांक 03.11.2020 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 22.07.2020 की “कोयला आधारित थर्मल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के साथ पूरक ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीस घंटे विद्युत की उपाप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु मार्गनिर्देश” से संबंधित विद्युत मंत्रालय के संकल्प के पैरा 5.4 और पैरा 5.5 के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (केविविआ) संदाय के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित वृद्धि दरों को अधिसूचित करता है।

उपरिलिखित मार्गनिर्देशों के अधीन किए गए विद्युत क्रय करार के अनुसार वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा विद्युत की उपाप्ति के लिए संदाय के प्रयोजन हेतु 01.10.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए लागू वार्षिक वृद्धि दरें:

क्र.सं.	विवरण	संदाय हेतु वार्षिक वृद्धि दर
1	घरेलू कोयले के लिए वृद्धि दर	0.00%
2	घरेलू गैस के लिए वृद्धि दर	0.61%
3	आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि—योग्य उप—संघटकों के लिए वृद्धि दरें	
3.1	आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर	-9.55%
3.2	आयातित कोयले के परिवहन के लिए वृद्धि दर	-6.86%
3.3	आयातित कोयले के अंतर्देशीय उठाई—धराई के लिए वृद्धि दर	0.51%
4	कोयले के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभारों के लिए वृद्धि दरें	
4.1	100 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.2	125 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.3	500 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.4	1000 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.5	2000 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.6	2000 किलोमीटर की दूरी से आगे	0.00%
5	गैस के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभारों के लिए वृद्धि दर	
5.1	जोन—1(300 किलोमीटर तक)	0.00%
5.2	जोन—2(300—1200 किलोमीटर)	0.00%
5.3	जोन—3(1200 किलोमीटर के ऊपर)	0.00%
6	आयातित गैस पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि—योग्य उप—संघटकों के लिए वृद्धि दरें	
6.1	आयातित गैस के लिए वृद्धि दर	-23.80%
6.2	आयातित गैस के परिवहन के लिए वृद्धि दर	-6.86%
6.3	आयातित गैस के अंतर्देशीय उठाई—धराई के लिए वृद्धि दर	0.51%
7	सूचकांक क्षमता प्रभार संघटक के लिए लागू की जाने वाली मुद्रा स्फीति दर	0.51%
8	कैप्टिव ईधन स्रोत की दशा में सूचकांक क्षमता प्रभार संघटक के लिए लागू की जाने वाली मुद्रा स्फीति दर	-0.62%

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./678/2024-25]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2024

F. No. Eco-2/2024-CERC.—In pursuance of Clause 5.6 (vi) of Ministry of Power Notification on “Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees”, dated 19.01.2005, as amended from time to time, and in pursuance of paragraph 5.4 and paragraph 5.5 of the Ministry of Power’s Resolution on “Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round- The-Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects” dated 22.07.2020 read with amendment dated 03.11.2020, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) notifies the following escalation rates for the purpose of payment.

Annual Escalation Rates applicable for the period from 01.10.2024 to 31.03.2025 for the purpose of payment for Procurement of Power by Distribution Licensees as per the Power Purchase Agreement entered into under the guidelines mentioned above:

Sr. No.	Description	Annual Escalation Rates for Payment
1	Escalation rate for domestic coal	0.00%
2	Escalation rate for domestic gas	0.61%
3	Escalation rates for different escapable sub-components of energy charge for plants based on imported coal	
3.1	Escalation rate for imported coal	-9.55%
3.2	Escalation rate for transportation of imported coal	-6.86%
3.3	Escalation rate for inland handling of imported coal	0.51%
4	Escalation rates for inland transportation charges for coal	
4.1	Up to 100 Km distance	0.00%
4.2	Up to 125 Km distance	0.00%
4.3	Up to 500 Km distance	0.00%
4.4	Up to 1000 Km distance	0.00%
4.5	Up to 2000 Km distance	0.00%
4.6	Beyond 2000 Km distance	0.00%
5	Escalation rate for inland transportation charges for gas	
5.1	Zone-1 (Up to 300 Km)	0.00%
5.2	Zone-2 (300-1200 Km)	0.00%
5.3	Zone-3 (above 1200 Km)	0.00%
6	Escalation rates for different escapable sub-components of energy charge for plants based on imported gas	
6.1	Escalation rate for imported gas	-23.80%
6.2	Escalation rate for transportation of imported gas	-6.86%
6.3	Escalation rate for inland handling of imported gas	0.51%
7	Inflation rate to be applied to indexed capacity charge component	0.51%
8	Inflation rate to be applied to indexed energy charge component in cases of captive fuel source	-0.62%

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./678/2024-25]